न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 68/2024

श्री मोहम्मद हामिद पुत्र मोहम्मद हबीब निवासी निवाई दरवाजा पुरानी टोंक जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी, टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 09.01.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी, टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 18.11.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1 यह कि पुराना वार्ड नं. 43 नया वार्ड नं. 47 हकीम याहया मियाँ के पीछे गली मे पुरानी टोंक में स्थित उचित मूल्य की दुकान (राशन की दुकान) नं. 53 जिसका डीलर मनीष शर्मा है। उक्त दुकान का लाईसेंसधारी मनीष शर्मा होने के बावजूद भी स्वयं दुकान मे बैठकर राशन सामग्री वितरण नही करके विधि विपरित रूप से किसी अन्य व्यक्ति मोहन शर्मा द्वारा राशन सामग्री वितरण करवायी जा रही है। किस नियम के तहत अन्य व्यक्ति के द्वारा राशन सामग्री वितरण करवायी जा रही है।

2 उक्त दुकान मे कितने राशनकार्डधारी है उनका नाम, पिता का नाम, राशन कार्ड नंबर बताये।

3 01 जनवरी 2024 से 18 नवम्बर 2024 तक उक्त राशन की दुकान से अब तक कितनी खाद्यय सामग्री का वितरण किया गया और रसद विभाग द्वारा कितनी खाद्यय सामग्री भेजी गयी।

4 कितने राशन कार्डधारियों की के.वाई.सी. हुई और कितनो की बाकी है।

5 राशन दुकान खुलने व बंद होने का समय।

6 01 जनवरी 2024 से 18 नवम्बर 2024 तक उक्त दुकान डीलर के स्टॉक वितरण की सम्पूर्ण विवरण प्रति, मासिक रजिस्टर्ड विवरण,

7 जिन राशन कार्डधारियों को राशन वितरण नही किया जा रहा है उसका कारण स्पष्ट रूप से बताये।उपरोक्त चाही गयी वांछित सूचना सम्पूर्ण बिन्दूवार लिखित मे प्रमाणित प्रतिलिपि मे उपलब्ध करायी जावे।प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद व कार्यालय का नाम अवश्य बताये ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी, टोंक को पत्र कमांक 1829 दिनांक 12.12.2024 व 1853 दिनांक 16.12.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब

जिला कलेक्टर
टोंक

की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी, टोंक ने पत्र कमांक 4072 दिनांक 18.12.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 2036 दिनांक 28.11.2024 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी, टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)